ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/370560893

Indian Marine Fisheries Bill 2021 in the backdrop of geographical maritime boundaries

Article · April 2023

CITATIONS
0

READS
12

1 author:

Subhash Donde
Kirti M. Doongursee College of Arts, Commerce and Science (Autonomous)
75 PUBLICATIONS **1** CITATION

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Subhash Donde on 06 May 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

भौगोलिक समुद्री सीमा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक 2021: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. सुभाष भिमराव दोंदे
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे संलग्न,
किर्ती कॉलेज (स्वायत्त), दादर (प.) मुंबई - 400 028.
ई-मेल: subhash.donde@despune.org
WhatsApp No: 9869556607

सारांश:

देश की लगभग 8118 किमी लंबी विशाल तटरेखा तथा 2.02 मिलियन वर्ग किमी के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और 0.53 मिलियन वर्ग किमी महाद्वीपीय जल सीमा (कॉन्टिनेंटल शेल्फ) क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधन फैले हुए हैं। तटरेखा से 12 समुद्री मिल तक फैला हुआ 'अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र' एक राज्य का विषय है तथा उसके आगे 200 समुद्री मिल तक फैला हुआ 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' केंद्र सरकार द्वारा शासित है। अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र यह बहुत छोटा क्षेत्र होने के बावजूद समुद्री जैविक संसाधनों का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। भारत में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र बहुआयामी बाधाओं का सामना करता है; जिसमें विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करना यह एक बड़ी चुनौती है। हालाँकि, कुल समुद्री मछली प्रग्रहण का लगभग 98 प्रतिशत योगदान यांत्रिक और मशीनीकृत या मोटरयुक्त क्षेत्र से आता है और केवल 2 प्रतिशत मछली प्रग्रहण कारीगर और छोटे पैमाने के मछुआरों द्वारा होता है; जो जनशक्ति या सांख्यिकीय दृष्टि से इस क्षेत्र पर हावी है। बढ़ते समुद्री प्रदूषण, भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि, पादप प्लवकों की न्यूनता, महासागर अम्लीकरण, एल-निनो और आवर्ती चक्रवात की बढ़ती घटनाओं के कारण समुद्री मात्स्यकी गहरे संकट में है; जिसके चलते तटवर्ती समुद्री मछुआरों की आजीविका सुरक्षा दाव पर है। 2021 में अधिनियमीत भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक के प्रावधानों का मछुआरों ने कड़ा या पुरज़ोर विरोध किया है। इन्ही विरोध के तथ्यों के पृष्टभूमि में प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन में भारत की भौगोलिक समुद्री सीमा के अन्तर्गत इस विधेयक द्वारा मात्स्यकि विनियमन के कुछ पहलुओं को उजागर किया गया है।

(**कुंजी शब्द:** भौगोलिक समुद्री सीमा, समुद्री मात्स्यिकी, महाद्वीपीय जल सीमा, अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र)

प्रस्तावना:

मत्स्य पालन भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला के स्तर पर उससे लगभग दोगुना है मतलब 32 मिलियन लोगो के रोजीरोटी का जरिया है। भारत

में गहरे समुद्र से लेकर झीलों, तालाबों, नदियों तक और मछली एवं शंख-मछली प्रजातियों के वैश्विक जैव विविधता के स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक समृद्ध और विविध मत्स्य संसाधन हैं। समुद्री मात्स्यिकी संसाधन देश की विशाल तटरेखा लगभग 8118 किमी और 2.02 मिलियन वर्ग किमी अनन्य आर्थिक क्षेत्र और 0.53 मिलियन वर्ग किमी महाद्वीपीय जल सीमा (कॉन्टिनेंटल शेल्फ) क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। आजादी के बाद से देश में मछली उत्पादन में निरंतर और संवहनीय वृद्धि हुई है। देश में कुल मछली उत्पादन 1950-51 में 0.75 मिलियन टन से बढ़कर 2019-20 में 14.16 मिलियन टन हो गया, जहाँ औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है। इस 14.16 मिलियन टन में से लगभग 74 प्रतिशत अंतर्देशीय स्रोतों से आता है और शेष का योगदान समुद्री प्रग्रहण (capture) मत्स्य पालन द्वारा किया जाता है। भारत की कुल मत्स्य पालन क्षमता 22.31 मिलियन मीट्रिक टन (2018) अनुमानित की गई है, इसमें से समुद्री मत्स्य पालन क्षमता अनुमानित 5.31 मिलियन मीट्रिक टन है और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षमता 17 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। SSS भारतीय समुद्री मछली पकड़ने का उप-क्षेत्र राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग केवल एक प्रतिशत ही है, लेकिन ग्रामीण तटीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अनुमानित 3.52 मिलियन लोगों के लिए आय, रोजगार, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पैदा करता है। 8,118 किमी भारतीय तटरेखा देश के 8 समुद्री तटीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है।

भारत ने 2018-19 में वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 13.5 प्रतिशत का योगदान दिया। देश में मछली उत्पादन में 2016-17 से 2019-20 तक की अवधि के त्रैवार्षिक समाप्ति दौरान 24.60 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में प्रमुख योगदान 33.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र है जबकि इस अवधि के दौरान समुद्री मत्स्य क्षेत्र 5.65 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। SSS 2019-20 में भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 3.72 मिलियन टन दर्ज किया गया। 2020 के दौरान लैंडिंग सेंटर स्तर पर समुद्री मछली लैंडिंग का तत्कालिक अनुमान मुल्य रु 46,962 करोड़ और खुदरा केंद्र में रु 67,194 करोड़ था; जिसके परिणामस्वरूप 69.89 प्रतिशत की क्रय-विक्रय या विपणन दक्षता थी। समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक रहा है और भारत दुनिया में अग्रणी समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है। 2019-20 के दौरान, समुद्री उत्पादों की निर्यात 12.9 लाख मीट्रिक टन थी और इसका मूल्य 46,662.85 करोड़ रुपये याने 6.68 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2019-20 में समुद्री निर्यात कृषि-निर्यात का लगभग 17% था। पिछले दशक (2010-11 से 2019-20) के लिए मात्रा और मूल्य के मामले में भारत से निर्यात की जाने वाली मछली और मछली उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 6.13 प्रतिशत और 15.47 प्रतिशत थी।

समुद्री मछली पकड़ने वाले समुदाय में कारीगर और छोटे पैमाने (लघू उद्योग) के मछुआरे हावी हैं। हालाँकि, लगभग 98 प्रतिशत प्रग्रहण (capture) मछली उत्पादन यांत्रिक और मशीनीकृत या मोटरयुक्त क्षेत्र से निकलता है। यह स्पष्ट विसंगति इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि छोटे पैमाने के मछुआरों की आजीविका सुरक्षा दांव पर है। समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और संधारणीय विकास और समुद्री मछली मूल्य श्रृंखला से जुड़े सभी हितधारकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उचित नीतिगत उपाय समय की आवश्यकता है। हालांकि, समुद्री क्षेत्र के संसाधनों की अत्यंत गतिशील प्रकृति नीति निर्माण को एक चुनौतीपूर्ण

प्रयास बनाती है। देश के समुद्री प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दिशा में ठोस नीति निर्माण महत्वपूर्ण है, जो संधारणीयता के साथ-साथ साम्यता संबंधी चिंताओं को दूर करता है।

भारत में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र मल्टी-गियर (बहु मछली पकड़ने का जाल), मल्टी-क्राफ्ट (बहु नौका) और एकाधिक हितधारक या पणधारी (मल्टी-स्टेकहोल्डर्स) के कारण बहुआयामी बाधाओं का सामना करता है। विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को संतुलित करना यह एक और बड़ी बाधा है। कुल समुद्री मछली पकड़ने के उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत कारीगर और छोटे पैमाने (लघू उद्योग) के मछुआरों द्वारा योगदान दिया जाता है; जो जनशक्ति के मामले में इस क्षेत्र पर हावी हैं। पारंपरिक मछुआरा समुदाय की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय है। समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने के बाद का प्रबंधन लैंडिंग केंद्रों और बंदरगाहों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रस्त है जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं प्रचालन-तन्त्र (लॉजिस्टिक्स) की कमी, आदि। मछलियाँ पकड़ने के बाद के नुकसान, अपशिष्ट प्रबंधन, बिचौलियों का शोषण आदि अन्य कारक हैं जो देश में समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास को सीमित करते हैं। मछुआरों के बीच क्षेत्र के नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता की कमी और अनुपालन का निम्न स्तर भी हस्तक्षेप (व्यवधान) की प्रभावशीलता को सीमित करता है।

परिकल्पना:

किसीं भी नीति दस्तावेज या विधेयक में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के बजाय केवल आर्थिक लाभों के मद्देनजर जब दोहन पर केंद्रित होती है या वो उस क्षेत्र के निगमीकरण को बढ़ावा देती है तब वो जैव-विविधता, एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता, परिरक्षण और संवहनीयता जैसे मुद्दों के साथ साथ इन प्राकृतिक संसाधनों पर युगों युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी निर्भर समुदाय के हितों के बारें में सोचना छोड़ देती है। यह दृष्टिकोण हाल ही में अधिनियमित भारतीय समुद्री मात्स्यिकी अधिनियम 2021 में परिलक्षित होता है।

RESEARCH JOURNEY

क्रिया-विधि:

गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से मानवीय अनुभव पर आधारित होता हैं, जिसमें परिवर्ती राशि को परिमाणित किए बिना धारणाओं और सैद्धांतिक जानकारी का उपयोग किया जाता है। इस पृष्टभूमि में प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार विमर्श:

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र (Territorial Sea) को लेकर 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, (UNCLOS) 1982 के नाम से जाना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि विश्व के समुद्रों और महासागरों के इस्तेमाल के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाती है। इस कानून के जरिए समुद्री संसाधनों का न्याय संगत वितरण एवं एक समान इस्तेमाल और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण की जबाबदेही को भी सुनिश्चित किया जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) जमीनी सीमा से अलग एक समुद्री क्षेत्र है जिसपर कानून लागू करने का अधिकार तटवर्ती देश को प्राप्त है। यह

सीमा आमतौर पर 12 समुद्री (nautical) मील से 200 समुद्री मील तक फैली होती है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। ऐसे में 200 समुद्री मील का मतलब 370.4 किलोमीटर की दूरी हुई। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का इलाका किसी भी देश के अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र से अलग होता है। भारत के मामले में भी ऐसा है। भारत की अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्री सीमा तट से 12 मील की दूरी तक स्थित है। इसके बाद अगले 200 किलोमीटर तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने, तेल-गैस निकालने या दूसरे तरीकों से आर्थिक दोहन करने का अधिकार संबंधित तटवर्ती देश को मिला होता है।

अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र अधिक उथले और पोषक तत्वों से भरे पानी के लिए जिम्मेदार है, जहां सूरज की रोशनी से प्रेरित प्राथमिक उत्पादकता या उर्वरता उच्चतम है। यह बहुत छोटा क्षेत्र होने के बावजूद समुद्री जैविक संसाधनों का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, इस अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र में मछली पकड़ना राज्य सूची के दायरे में है और इसलिए नौ समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। संघ सूची के अनुसार, केंद्र सरकार अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र जल से परे मतलब 12 समुद्री मिल के परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने (प्रग्रहण) और मत्स्य पालन' के लिए जिम्मेदार है। 1980 के दशक के अंत तक, भारत के छोटे पैमाने के, कारीगर मछुआरों ने तकनीकी सीमाओं के कारण बड़े पैमाने पर अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र के भीतर अपनी मछली पकड़ने को सीमित कर दिया था। इसके बाद, अधिक से अधिक यांत्रिक प्रणोदन (प्रेरक शक्ति) और नौकानयन (नेविगेशन) उपकरणों तक पहुंच के साथ, कई ने अपनी सीमा को अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक और उससे भी आगे बढ़ाया है। 10-15 दिनों तक चलने वाली मछली पकड़ने की इस क्षेत्र की यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जहाज मछली पकड़ रहे हैं।

समुद्री मात्स्यिकी विधेयक 2021 अनन्य आर्थिक क्षेत्र का धारा 3 को लागू करके 'राष्ट्रीयकरण' करता है- किसी भी विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाज को इस अधिनियम के तहत भारत के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने और या इससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निश्चित रूप से पूरे घरेलू मछुआरों तथा उपभोक्ता द्वारा स्वागत योग्य है। हालांकि, धारा 4 के तहत, भारतीय मछली पकड़ने वाले यांत्रिकी जहाज लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जारी करने के बाद ही अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर और खुला सागर में मछली पकड़ने और इससे संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, विधेयक के इस धारा के प्रावधान देश भर में छोटे पैमाने के मछुआरें अब उन्हें अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र तक सीमित रखने और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए उनकी वर्तमान खुली पहुंच को विनियमित करने का प्रयास मानते हैं।

छोटे पैमाने के, कारीगर मछुआरे घरेलू स्तर पर बिल के तहत लागू की जा रही विशेष लाइसेंसिंग आवश्यकता को महंगा और अव्यवहारिक मानते हैं। तटीय राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे पंजीकरण और लाइसेंस के रूप में मछली के लिए वर्तमान प्राधिकरण पर्याप्त माना जा रहा है, क्योंकि प्रादेशिक समुद्र के बाहर उनके उद्यम एक नियमित विशेषता नहीं हैं। हालांकि, मछली के स्टॉक की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, मछली पकड़ने के लिए अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पीछा करना यह उनका प्रथागत अधिकार है जिसके लिये एक अलग लाइसेंस की जरूरत नही होनी चाहिए। विधेयक की धारा 2 (r) 'छोटे पैमाने के

मछुआरों की परिभाषित करती है - एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मछली पकड़ने वाले जहाज का उपयोग करता है जिसकी लंबाई 24 मीटर से कम है। यह एकमात्र मानदंड के रूप में जहाज की लंबाई का उपयोग दोषपूर्ण है। लंबाई का 24- मीटर कट ऑफ पॉइंट में, भारत में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के अधिकांश जहाजों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें से कई व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में हैं। यदि उद्देश्य लघु-स्तरीय क्षेत्र का वास्तविक समर्थन करना है, तो 50 एचपी से नीचे की हॉर्स पावर रेटिंग और अपवर्जित बॉटम ट्रॉल जाल को मानदंड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

2021 का विधेयक, अपने पूर्वगामी मसौदे के विपरीत, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता, परिरक्षण और संवहनीयता जैसे मुद्दों छोड़ देता देता है जो पहले के मसौदे में शामिल थे। यह एक प्रतिगामी उपाय है और एक नवीकरणीय संसाधन के लिए एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है जो प्रकृति प्रक्रियाओं से अत्यधिक प्रभावित होता है। उत्तरदायी या जवाबदेह समुद्री मत्स्य पालन के लिए नैतिक मृदु कानून ढांचे के रूप में लगभग सभी विकसित और विकासशील देशों द्वारा स्वैच्छिक दिशानिर्देशों का समर्थन की गई खाद्य और कृषि संगठन की आचार संहिता पालन करने की आवश्यकता को 2021 का विधेयक स्वीकार नहीं करता है। यह एफएओ की स्मॉल-स्केल फिशरीज निर्देशक रेखा को स्वीकार करने में भी विफल रहा है, जो धीरे-धीरे दुनिया भर में छोटे पैमाने के कारीगर मछुआरों के मैग्ना कार्टा के रूप में उभर कर आया है।

अधीनस्थ क्षेत्रिक समुद्र में मछलियों की उपलब्धता कम होने के कारण इन वर्षों में, देश स्थानिक नौकाओं और मशीनीकृत जहाजों पर मछुआरे 12 समुद्री मिल के निशान से बहुत आगे निकल गए हैं। केंद्र सरकार ने 2021 के इस नये विधेयक, द्वारा केवल मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत जहाजों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। यह भारतीय तटरक्षक बल को नियंत्रण और निगरानी या रखवाली की जाँच का प्रभारी बनाकर बिना लाइसेंस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले, तथा भारतीय तटरक्षक बलके आदेशों का पालन नहीं करने और इन अधिकारियों का विरोध करने वाले मछुआरों के लिए दंड का प्रस्ताव करता है। मछुआरों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के अनुसार विधेयक में मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत होने वाली जहाजों की किस्मों पर स्पष्टता का अभाव है। मछुआरे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर कटमरैन, देशी नाव, फाइबर नाव और मशीनीकृत जहाजों का चयन करते हैं। अधिकांश मछुआरे गरीब होने के कारण देशी नावों और फाइबर नौकाओं का उपयोग करते हैं। मछली पकड़ने के सभी तरीकों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता के रूप में देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है की देशज एवं पारंपरिक मछुआरों से परामर्श किए बिना विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए नियमों की आवश्यकता है, लेकिन कॉरपोरेट्स को पारंपरिक मछुआरों की जगह नहीं लेना चाहिए.। यह विधेयक 90 प्रतिशत पारंपरिक मछुआरों को प्रभावित करेगा, और समुद्र के मछली पकड़ने के संसाधनों पर एकाधिकार करने की प्रतीक्षा कर रहे कॉरपोरेट्स को लाभ होगा। यह बिल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सांविधानिक आश्वस्ति (गारन्टी) के लिये अनुच्छेद 21 और 23 में निहित शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के अधीन भारतीय तटरक्षक बल को मछली पकड़ने की निगरानी एवं नियंत्रण के जाँच का प्रभारी बनाने से मछुआरों के कल्याण

पर राज्य की पकड़ कम कर देता है। धारा 6 (3) (1) मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की बात करती है; जबकि धारा 18 (1) ऐसे संसाधनों का दोहन और विनाश करना चाहती है। ऐसा लगता है कि बिना दूरदर्शिता के बिल जल्दबाजी में तैयार किया गया है। पारंपरिक मछुआरों को प्रारूपण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था और विधेयक का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भी नहीं किया गया था। बिल का अंग्रेजी संस्करण केवल कुछ दिनों के लिए मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध था और अचानक इसे हटा लिया गया। सरकार का दृष्टिकोण एक रणनीतिक बहिष्कार और पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों की गैर-मान्यता है। इसके अलावा, विधेयक अधिकृत अधिकारियों को मछली लैंडिंग प्रसंस्करण और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है; जो तटीय राज्यों में पारंपरिक मछली बेचनेवाली मछुआरा महिलाओं के जीवन और आजीविका को प्रभावित करेगा।

उपसंहार:

समुद्री मत्स्य संसाधन सीमित होने के कारण समाप्त भी हो सकते हैं, इसलिए समुद्री मछलियों का उन्मूलन होने से पूर्व इस क्षेत्र का विनियमन एवं संधारणीय प्रबंधन यह वक़्त की माँग है। लेकिन समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र की भारत की परिकल्पना या आगे की सोच लंबे समय से समुद्री निर्यात से लाभ प्राप्त करने के बारे में है। अधिकांश नीति दस्तावेजों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा संसाधन के प्रबंधन के बजाय संसाधन दोहन पर केंद्रित है। मत्स्य पालन की सन्धारणीयता को छह आयामों में सुविचारित की जा सकता है- पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय, नैतिक और संस्थागत, किंतु भारतीय मत्स्य पालन नीतियां बड़े पैमाने पर आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आयामों पर केंद्रित हैं, जिसमें अल्पकालिक सन्धारणीयता लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। समुद्री मात्स्यिकी को सही मायने में सन्धारणीय या चिरस्थायी बनाने के लिए दीर्घकालिक सन्धारणीयता से जुड़े सामाजिक, पारिस्थितिक, नैतिक और संस्थागत इन आयामों पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है।न्यूनतम विकसित तटीय समुदायों को आर्थिक लाभ बढ़ाना और छोटे पैमाने के मछुआरों तक पहुंच प्रदान करना यह वैश्विक स्तर पर संधारणीय विकास लक्ष्य 14 लक्ष्य के ऐसे प्रमुख उप-लक्ष्य है, जिन्हें समुद्री मात्स्यिकी या तटीय विनियमन से संबंधित राष्ट्रीय नीति या अधिनियम में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भारतीय समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के परिरक्षण, विकास और इष्टतम उपयोग का रोजगार सृजन, सामाजिक-आर्थिक कल्याण और जनसंख्या की पोषण सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। संवहनीयता दृष्टिकोण पर विचार करते हुए इस क्षेत्र के दोहन तथा लाभ और हानि के न्यायसंगत वितरण के बीच की खाई को कम करने की जरूरत है। सभी हितधारकों को विश्वास में लेकर एक ऊर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दृष्टिकोण समुद्री मात्स्यिकी नीति निर्माण, कार्यान्वयन और परिणाम की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। 'अधिकतम संवहनीय उपज' के मद्देनजर इस क्षेत्र का न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांतों पर विनियमन यह संधारणीय मत्स्यकी विकास और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनिश्चित करने की दृष्टी से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद के तहत भौगोलिक समुद्री सीमा के क्षेत्रों का केंद्र और राज्य सरकारों में बटवारा न करते हुए एक साझा, सहकारी शासन द्वारा समुद्री मत्स्य पालन का संधारणीय प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए समुद्री मत्स्यकी का पूरा क्षेत्र अब आदर्श रूप से समवर्ती सूची में जाना चाहिए। छोटे पैमाने के मछली श्रमिकों को

अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के स्मॉल-स्केल मात्स्यिकी दिशानिर्देशों का उपयोग करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची:

1. Salim Shyam S. and Anuja A. R. (1922) Marine Fisheries Policies in India: Opportunities and Challenge Conference Indian fisheries outlook 2022 Conference Paper, Priming Indian Fisheries in attaining SDGs. https://www.researchgate.net/publication/359509857_Marine_Fisheries_Policies_in_India_Opportunities_and_Challenges
2. Kurian John (21st July 2021) Opinion | The Blue Lining – Indian Marine Fisheries Bill 2021 Onmanorama https://www.onmanorama.com/news/straight-talk/2021/07/21/the-blue-lining-indian-marine-fisheries-bill.html
3. Godson S. & Dass Wisely (25th July 2021) Indian Marine Fisheries Bill: Fishing for trouble? Indian Express https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/jul/25/indian-marine-fisheries-bill-fishing-for-trouble-2335003.html
4. Kumar Sanjiv (22nd July 2021) National Fishworkers Forum urges MPs to defer Indian Marine Fisheries Bill, 2021 BusinessLine https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/national-fishworkers-forum-urges-mps-to-defer-indian-marine-fisheries-bill-2021/article35460189.ece/amp/
5. दोंदे सुभाष **(2021)** समुद्री मात्स्यिकी**:** विनियमन एवं संधारणीय अनुशीलन के परिपेक्ष्य में. International Journal of Hindi Research, Volume 7, Issue 4, 2021, Pages 42-48. https://www.hindijournal.com/download/861/7-4-18-262.pdf

RESEARCH JOURNEY

View publication stats